समाहरणालय,मधेपुरा
(जिला स्थापना शाखा)
-:आदेशः-

सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-39 दिनांक- 28.09.2015 के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-00-094 अन्य स्थापनाएँ-0001 अनुमंडलीय स्थापना मांग सं0-33 विपत्र कोड N-2053000940001 गैर योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2015-16 में व्यय हेतु विभिन्न विषय शीर्षों में आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है :-

क्रमांक	ईकाई/ कुट सं0	अनुमंडल पदा0, मधेपुरा	अनुमंडल पदा0, उदाकिशुनगंज	जिला नजारत उप समाहर्त्ता,मधेपुरा	कुल योग
1	2	3	4	5	6
01.	यात्रा भत्ता 1101	10000	5000	00	15000
02.	कार्यालय व्यय 1301	150000	150000	00	300000
03.	वहन का ईधन एवं रख रखाव 1302	50000	50000	00	100000
04.	दूरभाष 1303	12500	12500	00	25000
05.	वर्दी 1306	5000	5000	00	10000
06.	विद्युत 1304	20000	20000	00	40000
07.	व्यवसायिक एवं वि0 सेवा 2801	00	00	100000	100000
	कुल योग	247500	242500	100000	590000

(मो0-पाँच लाख नब्बे हजार मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561,वि0,(2)दिनांक-17.04.1998 एवं 396 दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. यह राशि मुख्य शीर्ष N-2053000940001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में विकलनीय होगा।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. मासिक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विपत्र संख्या, कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित इस कार्यालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अदयतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. उपावंटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
12. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 740-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 3.10.2015

प्रतिलिपिः- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज एवं कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

e:\shailendra jee\2053 all.doc